1/25/23, 11:51 AM about:blank

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding denial of reservation of SC, ST and OBC in the promotion of teachers in Universities.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं दो-तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूँ।

हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है, इस निर्णय से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक के पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके तहत अब शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक के पदों पर आरक्षण लागू करते समय पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर वहाँ के विभिन्न विभागों को एक ही इकाई मानी जाएगी। यानी कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय में जितने भी पद हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को एक जगह लेकर रोस्टर सिस्टम किया जाता था। अब हाल में, एक संशोधन करके यूजीसी ने कहा है-

An amendment has been conveyed to all universities by UGC vide its Notice dated 5th March, 2018 wherein universities require to calculate reservation for SC and ST in teaching vacancies by treating each department, subject, as a unit for every level of teaching.

यदि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक-एक पोस्ट रहता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई भी हो, इसके लिए सिंगल पोस्ट रहता है, उसमें रिज़र्वेशन आता ही नहीं। यदि उसमें रिज़र्वेशन आएगा भी, तो वह रोस्टर सिस्टम के अनुसार 15 वर्षों के बाद आएगा।

इसमें एससी, एसटी और ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान है। विश्वविद्यालयों में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोग रिज़र्वेशन को खत्म करना चाहते हैं? क्या एससी, एसटी और ओबीसी को खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि अब नौकरियाँ कम की जा रही हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, उनमें भी नौकरियाँ गायब हो गई हैं। रेलवे की नौकरियों में भी कटौती हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इसे रीस्टोर करे। पहले का जो जी.ओ. है, उसको रीस्टोर करना चाहिए।

आप जानते हैं कि हाल ही में, 'एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट' को डायलूट करने का जज़मेंट ... ने दिया था।...(व्यवधान)

about:blank 1/3

1/25/23, 11:51 AM about:blar

माननीय अध्यक्ष: आप दोनों मुद्दे एक साथ क्यों ला रहे हैं?

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, यह उसी से संबंधित है। इस तरह के जज़ को जीएसटी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है।

माननीय अध्यक्ष: ये दोनों मामले अलग-अलग हैं। यह आप भी जानते हैं। मैंने आपको एक मामला उठाने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: यह तो इशारा देता है कि आप खुद इसको सपोर्ट करते हैं। ... (व्यवधान) जो-जो अन्याय और अत्याचार करेंगे, उनको आप प्रमोशन देंगे। जिस दिन वह रिटायर होगा, उसी दिन उसका अपॉइंटमेंट होगा। ...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्षा जी, माननीय खड़गे साहब ने यहां एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। सरकार ने इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर के इसकी प्रक्रिया शुरू की है। यू.जी.सी. और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और ओ.बी.सी. को प्रमोशन देने का जो इश्यू है...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, बल्कि अपॉइंटमेंट ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव, डॉ. कुलमणि सामल, श्री धनंजय महाडीक, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री आर. ध्रुवनारायण एवं श्री राजेश रंजन को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनन्तकुमार: आप मेरी बात सुनिए। प्रमोशन और भर्ती, दोनों में जो रिज़र्वेशन है, हमारे शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के बंधुओं के लिए उसको दूसरी तरह से करने का जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है, इसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सरकार ने बंद कर दिया है।

इस पर पुनर्विचार करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी., स्पेशल लीव पेटीशन दर्ज की है। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ एक्ट पर

about:blank 2/3

1/25/23, 11:51 AM about:blank

माननीय प्रधान मंत्री जी कई बार कह चुके हैं। ...(व्यवधान) इसमें किंतु, परंतु, कॉमा या फुल स्टॉप का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए भी हमने एस.एल.पी. दर्ज की है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरप्पा मोइली जी।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने एक बहुत ही सैन्सिटिव इश्यू, जो एस.सी., एस.टी. के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजादी के बाद वर्ष 2002 के बाद जितनी भी कास्ट्स एस.सी., एस.टी. कैटेगरी में आई हैं, उनको तुरंत ही पूरे हक मिल जाते थे। बदिकस्मती से वर्ष 2002 के बाद जो कास्ट्स एस.सी.,एस.टी. में आई हैं, 15 राज्यों में 94 कास्ट्स हैं और उनको स्टेट की असैम्बली और पार्लियामैंट के इलैक्शन में भाग लेने का पूरा अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि इसके बाद जो पहले हुआ करता था, उसमें साथ ही साथ नोटिफिकेशन निकलता था और जो कास्ट आती थीं, उन्हें हक मिल जाता था। अभी 15 राज्यों में 43 सीट्स असैम्बली की हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2012-13 में दो सीटों का हक मिल गया, हम इसके लिए खुश हैं, इसके विरोध में नहीं हैं। इसी तरह से सिक्किम की पांच सीटों का रिजर्वेशन का इसी सैशन में बिल आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे आप सिक्किम को एस.सी.,एस.टी. के रिजर्वेशन में इनक्लूड कर रहे हैं, ऐसे ही जो बाकी 14 राज्य हैं, उनको भी इसी सैशन में इसी बिल के साथ इनक्लूड किया जाए, ताकि वहां के एस.सी.,एस.टी. लोगों को पूरा अधिकार मिल सके। पंचायतों और दूसरे इलैक्शंस में उन्हें हक मिला है। धन्यवाद।

about:blank 3/3